पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 06215

Date / दिनांक: 16/06/2020

सेवा में,

1. अरनव मैनसन प्रा0लि0,
निदेशक–श्री रजनीश कुमार एवं अन्य,
पता–हरनीचक स्कूल रोड,अनिसाबाद,
थाना–बेउर,जिला–पटना।

2. अभियंता, श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, निबंधन सं0–ER/17/2016
पटना नगर निगम।

विषय :– प्लॉन केस सं0– P-/Dhanaut-PRN-G+3/63/2019 के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.71 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/ भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.71 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग कों देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.71 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है।भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–ग में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

16/6/2020

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Scanned by CamScanner

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 0621Y.
Date / दिनांक: 16/06/2022

सेवा में,

अरनव मैनसन प्रा0लि0,
निदेशक–श्री रजनीश कुमार एवं अन्य,
पता–हरनीचक स्कूल रोड,अनिसाबाद,
थाना–बेउर,जिला–पटना।

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P-/Dhanaut-PRN-G+3/63/2019 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या– **P-/Dhanaut-PRN-G+3/63/2019** के संदर्भ में अरनव मैनसन प्रा0लि0,निदेशक–श्री रजनीश कुमार एवं अन्य,पता–हरनीचक स्कूल रोड,अनिसाबाद,थाना–बेउर,जिला–पटना. के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम केसर्वे प्लॉट सं0–2459,2460,खाता सं0–317,102,थाना सं0–20,तौजी नं0–5139 मौजा–धनौत पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से अवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 321.53 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 16.71 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है।भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

Scanned by CamScanner

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

13/6/2020

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Scanned by CamScanner

TNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन ₹ 10 दस रुपये पटना कारपोरेशन राजधानी अंचल

No. 19636

Cashier

कोषाध्यक्ष

Certified of fonrio copies

प्रतिलिप (नकल) के लिए पृष्ठों के लिए प्रतिपत्र

किल वजाप्ता कर निर्धारण वाद सं0-11/2019-20, सर्किल सं0-269, हो0सं0-1320/01 आवेदक का नाम-श्री रामवतार राय पिता-स्व0 फुदेनी व. मु0-महुआबाग, रूपसपुर, पटना में कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम का पारित आदेश दिनांक-16.05.2019 का वरण।

) पदा0/रा0 पदा0

आदेशानुसार सर्किल सं0-269 मुहल्ला-महुआबाग, रूपसपुर, पटना का स्थल निरीक्षण आवेदक की उपस्थिति में किया। निरीक्षण क्रम में पाया कि आवेदक परती जमीन खरीद कर नया एक कमरा का निर्माण किया है। आवेदक ने कर निर्धारण हेतु निर्बंधित विक्रय पत्र की ायाप्रति प्रस्तुत किया है। जिसका निबंधन विक्रय पत्र सं0-16084, दिनांक-11.05.2013 है। निर्बंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति संचिका में संलग्न है। सका अवलोकन किया जा सकता है। आवेदक श्री रामवतार राय पिता-स्व0 फुदेनी राय का जमीन का विवरण निम्न प्रकार है। मकान अन्य सड़क आर0सी0सी0 का बना एवं उपयोग आवसीय है।

कुल रकवा- 6290 वर्गफिट

बनावट 200 वर्गफिट-30%=140=00 वर्गफिट x06=840 रूपया वा0कि0मू0

अत: निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर सर्किल सं0-269 में नया हो0सं0-1320/01 कायम करते हुये श्री रामवतार राय स्व0 फुदेनी राय के नाम से वा0कि0मू0 840रू0 पर कर निर्धारण की स्वीकृति दी जा सकती है।

विजय प्रसाद सिंह/11.05.19

कर संग्राहक

दा0/ प्र0 पदा0

कृपया क्षेत्रिय कर-संग्राहक के स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर स0सं0-269 में नया -1320/01 कायम करते हुये आवेदक श्री रामवतार राय पिता-स्व0 फुदेनी राय का वा0कि0मू0 840रू0 पर कर निर्धारण की स्वीकृति दी जा है।

कन्दर कुमार/11.05.19

नू0 रा0 अं0

0

पया क्षेत्रीय कर संग्राहक का स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं कार्यालय सहायक की टिप्पणी के आलोक में अंश 'क' की स्वीकृति दी जा सकती

मल किशोर सिन्हा /11.05.19

/ नू0 रा0 अं0

0

कृपया उपर क्षेत्रीय कर संग्राहक के स्थल जॉच प्रतिवेदन का0टि0, प्र0 पदा0 की अनुशंसा एवं निबंधित विकी पत्र की छाया प्रति पर चिन्हित अंश 'क' की स्वीकृति दी जा सकती है।

मोहन प्रसाद /16.05.19

/ नू0 रा0 अं0

ह0/-शैलेश कुमार

16.05.19

कार्यपालक पदाधिकारी

नूतन राजधानी अंचल

Amit 17/05/19

फल किया

मिलान किया 17/05/19

सहायक

अभिप्रमाणित सच्चि प्रतिलिपि

प्रशाखा पदाधिकारी

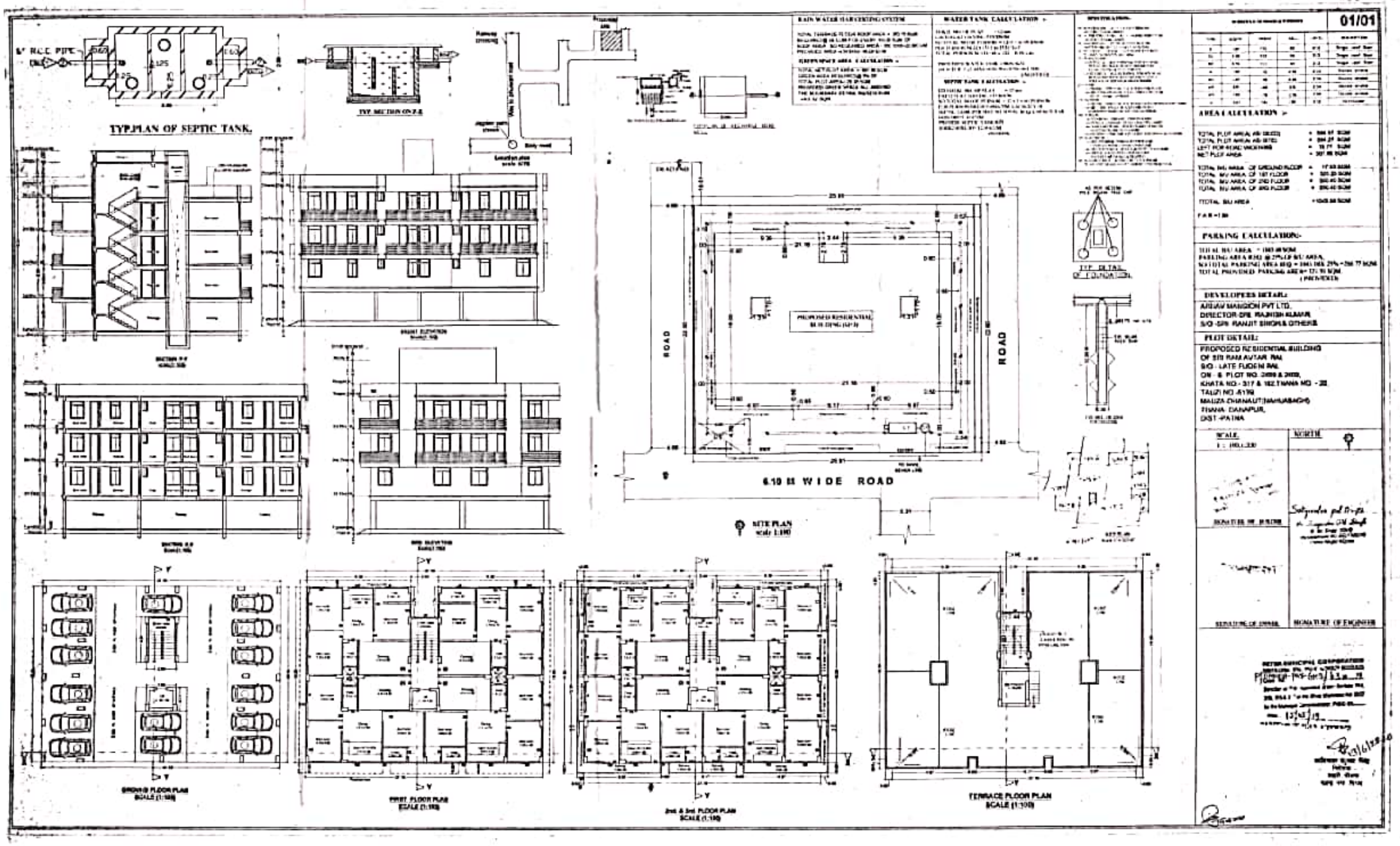
नूतन राजधानी अंचल

Scanned by CamScanner

आवेदक का आवेदन पत्र का तारीख	अपेक्षित स्टाम्प लेने-देने का तारीख	तारीख जब प्रतिलिपि के लिए प्रस्तुत की	तारीख जब आवेदक प्रतिलिपि को गई



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner